संख्या– / ।।(02) / 2020–03(06) / 2016

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून, दिनांक 24 नवम्बर, 2020**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सैक्टर मानसून अवधि के बाढ़ कार्यों का सम्पादन / क्षतिग्रस्त परिसम्मपत्तियों का पुनर्निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–629 / ।।(2)–2020–03(06) / 2016, दिनांक 18.09.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सैक्टर मानसून अवधि के बाढ़ कार्यों का सम्पादन / क्षतिग्रस्त परिसम्मपत्तियों का पुनर्निर्माण कार्यों के अन्तर्गत ₹ 1000.00 की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी है। उक्त योजनान्तर्गत बी0एम0–9(1) प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत बचतों में से ₹ 450.00 लाख (रूपये चार करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि मानक मद–42 से मानक मद–51 में पुनर्विनियोजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित सम्बन्धित धनराशि अधिकारी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जाएगी।

(iv) उक्त व्यय में बजट मेनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के सुसंगत प्राविधानों, तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाय।

(v) जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त करी ली जाय।

(vi) कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताा पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(viii) शासनादेश संख्या–1164 / ।।(2) / 2018–4(11) / 2010,टी0सी0– I,दिनांक18.06.2018 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः–2–

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च 2021 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(x) आवंटित धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। यदि आवंटित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि समर्पित होगी तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(xi) वित्त विभाग के शासनादेश सख्या–292/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या 20–के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक–4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103–सिविल निर्माण कार्य–07–मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का सम्पादन/क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण–51–अनुरक्षण कार्य के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–537/XXVII(2)/2020, दिनांक 12 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– **Allotment ID**

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–2150 (1)/ II(02)/2020–03(06)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6–नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7–बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।